न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या:— 56 / 2025 (75 एल.आर.एक्ट.)

उनवान

1. गोरेलाल पुत्र ल्होरेराम जाति लोधा निवारी सलेमपुर तहसील व जिला धौलपुर

..........................अपीलार्थी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील धौलपुर।

..........................रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री रंजीत सिंह लोधा अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

::: निर्णय :::

दिनांकः—27.06.2025

यह अपील न्यायालय तहसीलदार धौलपुर के मुकदमा नं0 217 / 2024 उनवानी सरकार बनाम गौरे निर्णय दिनांक 1703.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पटवार हल्का जाटौली द्वारा तहसीलदार धौलपुर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि गौरे पुत्र ल्होरे जाति लोधा सा.देह द्वारा राजस्व ग्राम सलेमपुर में संवत् 2081 खसरा नं0 63 रकबा 03 बीघा 05 विस्वा किस्म चारागाह पर नाजायज कब्जा कर रकवा 08 विस्वा जिन्स गेहूं किस्म चारागाह पर पश्चातवर्ती अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है, कानूनी कार्यवाही की जावें । न्यायालय तहसीलदार नें गैरसायल के विरूद्ध एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 91 में मु0नं0 217 / 2024 उनवान सरकार बनाम गौरे दर्ज किया जाकर, वर्णित धारा 91(2) के तहत 60 दिवस के सिविल कारावास एवं लगान 0.80 का पचास गुना 40 रूपये शास्ति के दण्डित किया जाकर बेदखली के आदेश पारित किए गए । इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है.।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने आराजी खसरा नम्बर 63 चारागाह ग्राम सलेमपुर के 08 विस्वा भूमि पर सम्वत् 2081 रवी की फसल जोत बोकर पश्चातवर्ती अतिकमी बताकर एक पक्षीय रूप से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट को 60 दिवस का सिविल कारावास एवं 40 रूपये शास्ति से दण्डित किया है ।

आगे कथन अंकन किए कि न्यायालय तहसीलदार धौलपुर द्वारा बिना सुनवाई के नोटिस दिया जाकर विवादित आराजीयात पर बिना अतिक्रमण के ही ,

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किए जो रिपोर्ट की है वह विधि विरूद्ध है अपास्त योग्य है तथा प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 17.03.2025 को अपास्त किया जावे ।

अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को तहसीलदार धौलपुर के आदेश दिनांक 17.03.2025 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/अपीलार्थी वृद्ध अशिक्षित व्यक्ति है अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी सही समय पर नही हो सकी इसलिये अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई देरी में अपीलांट की कोई लापरवाही व गफलत नही है दिनांक 24.03.2025 को आदेश की जानकारी होने से अपील अन्दर म्याद पेश है।

अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र धारा 81 एल.आर. एक्ट पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। प्रार्थी अशिक्षित व्यक्ति है। परिवार में केवल एक कमाने वाली सदस्य है जिसके जेल मे रहने से भूखे मरने की नौवत आ जावेगी। आदेश दिनांक 17.03.2025 तहसीलदार धौलपुर मुकदमा नम्बर 217/2024 सरकार वनाम गौरे धारा 91 एल.आर.एक्ट. के क्रियान्वयन को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

सर्व प्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम बहस की गई । बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दुहराया जाकर प्रार्थना स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया एवं प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मौखिक बहस की गई।

प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित रिपोर्ट में आराजी ग्राम सलेमपुर की सरकारी चारागाह भूमि ख.नं. 63 रकबा 08 विस्वा पर गौरेलाल पुत्र ल्होरेराम निवासी सलेमपुर द्वारा अवैध रूप से कब्जा होना जाहिर किया है जबकि आराजी मौके पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना पैमाईश किये, अदालत मातहत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए है, उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है और ना ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अपीलार्थी को बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी इस बात का शपथ पत्र

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि चारागाह है जो सरकारी भूमि है। अतः अपीलार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किये जाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

हमारे द्वारा बहस विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थी व पैरोकार सरकार के तर्को पर मनन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत अदालत माहदत की पत्रावली में अंकित की गई रिपोर्ट तामील के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है तथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने के सबंध में तामील रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त हस्ताक्षर अपीलार्थी के किसी परिवारजन के है एवं माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर के परिपत्रः अधि.सं.प. 8/राम/न्याय/विधिक/85/5403–29 दिनांक 17.02.1985 में दिये गये निर्देशो की तामील में उचित पालना नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 81 एल.आर.एक्ट. जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। प्रार्थी अशिक्षित व्यक्ति है। परिवार में केवल एक कमाने वाली सदस्य है जिसके जेल मे रहने से भूखे मरने की नौवत आ जावेगी। आदेश दिनांक 17.03.2025 तहसीलदार धौलपुर मुकदमा नम्बर 217/2024 सरकार वनाम गौरे धारा 91 एल.आर.एक्ट. के क्रियान्वयन को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गई।

भू –राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के कानूनी प्रावधान इस प्रकार है:--

भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(1)कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उसे तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या बनाया गया कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जैसा वह ठीक समझे और अन्य मामलों में,

जैसा कलेक्टर निदेश दे परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने के आदेश देने के बदले में उसके सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2)ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसके दौरान वह पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर ऐसे अनाधिकृत कब्जे में रहा है, जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अतिचार के प्रथम कृत्य के लिए, वार्षिक किराए या मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, के पचास गुना तक हो सकता है। अतिचार के प्रत्येक बाद के कृत्य के मामले में, वह तहसीलदार के आदेश से, तीन महीने तक की अवधि के लिए सिविल जेल में जाने और पूर्वोक्त सीमा तक जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे जुर्माने की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(3)जहां उपधारा (2) के अधीन सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया अतिचारी उस तहसीलदार को, जिसके द्वारा उसे सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया है, यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करने का आशय रखता है, वहां तहसीलदार आदेश देगा कि ऐसे अतिचारी को उसके स्वयं के बंधपत्र पर, ऐसी अवधि के लिए रिहा कर दिया जाए, जितनी अवधि के लिए उसे अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और ऐसा आदेश, जब तक वह बंधपत्र पर इस प्रकार रिहा रहता है, निलंबित समझा जाएगा।

(3–क) उपधारा (2) के अधीन बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व, तहसीलदार, विहित रीति से, उस व्यक्ति पर, जिसके बारे में रिपोर्ट की गई है कि वह विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि पर कब्जा कर रहा है या कब्जा जारी रखे हुए है, एक नोटिस तामील कराएगा जिसमें ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसे एक निश्चित तारीख तक या तो ऐसी भूमि खाली करने के लिए कहा जाएगा या उपस्थित होकर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे वहां से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4)निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात् –

(1)जहां अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न ही उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित होता है, या

(2)जहां ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में अतिचारी भूमि खाली नहीं करता हैं और उपस्थित होता है, किन्तु –(क)ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाता है, या

(ख)कोई अभ्यावेदन करता है जिसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक जांच और सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहां तहसीलदार, जब तक कि खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामले में अतिचारी एक सप्ताह के भीतर भूमि खाली करने का वचन नहीं

Scanned with OKEN Scanner

देता है और ऐसी समयावधि के भीतर उसे खाली नहीं कर देता है, अतिचारी को ऐसी भूमि से हटाने का आदेश देगा और उसे वहां से हटाएगा या हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा और उस पर कब्जा लेगा; और यदि तहसीलदार या इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा लेने में विरोध किया जाता है या उसे फंसाया जाता है, तो तहसीलदार अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट भूमि को तहसीलदार के अधीन समर्पित करने के लिए बाध्य करेगा।

(5)पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसी कोई भूमि धारा 97 के परन्तुक के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की है, तो तहसीलदार उसे उप–विभागीय अधिकारी के अनुमोदन से अतिचारी को बेच सकेगा, बशर्ते कि वह उसके लिए धारा 96 के अधीन नियत दर पर प्रीमियम का भुगतान कर दे और जो ऐसी भूमि पर लागू हो, तथा इसके अतिरिक्त उप–धारा (2) के अधीन उससे अवैध कब्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिए वसूलनीय मूल्यांकन और शास्ति भी हो।

(6)उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क)जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने से पूर्व ऐसी भूमि पर कब्जा कर चुका है, और तहसीलदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित नोटिस दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसा क़ब्जा हटाने में असफल रहता है, तो उसे दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा; तथा

(ख)जो कोई, राज्य सरकार का नियोजक होते हुए, जिसे कलेक्टर के लिखित आदेश द्वारा इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध को रोकने या निवारण करने का कर्तव्य विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है, ऐसे अपराध को रोकने या निवारण करने में जानबूझकर या जानबूझकर उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा परंतु,

खंड (क) के अधीन अपराध के मामले में, न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किसी पर्याप्त या विशेष कारण से एक मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा परंतु यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना खंड (ख) के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान

Scanned with OKEN Scanner

नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "भूमि" से तात्पर्य है —(i)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) में परिभाषित चरागाह भूमि; तथा(ii)धारा 103 के खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में परिभाषित भूमि, जिसमें सार्वजनिक कुआं, नाडी, जोहड़ और तालाब से संलग्न भूमि शामिल है।

अदालत मातहत की पत्रावली से जाहिर है कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी की तामील भू —राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार नहीं करवाई गई है । तामील नोटिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है तथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने के सबंध में तामील रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त हस्ताक्षर अपीलार्थी के किसी परिवारजन के है। इससे यह सावित है कि रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया ।

अदालत मातहत को चाहिए कि वे अपीलार्थी की तामील विधि प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करवाकर तथा अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है।

धारा 91(2) के अन्तर्गत प्रथम पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास की सजा के आदेश जारी करने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करवाने के लिए अपीलार्थी/अप्रार्थीगण के बयान व अप्रार्थी से जिरह कर निष्कर्ष निकाला जाकर स्पष्ट रूप से निर्णित किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने के पश्चात् ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) में सिविल कारावास से दण्डित किया जाना चाहिए। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम बार के अतिक्रमण की कार्यवाही व उसका निर्णय शामिल मिसिल नहीं है अर्थात पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह साबित नहीं है कि अपीलांन्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है इससे भी यह आदेश अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत तसीलदार धौलपुर के निर्णय प्रकरण संख्या 217/2024 उनवान सरकार बनाम गौरे निर्णय दिनांक 17.03.2025 को सिविल कारावास किये जाने की सीमा तक खारिज किया जाता है। पत्रावली अदालत मातहत तहसीलदार धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत तामील करवाते हुऐ विधिवत सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

(हरि राम मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
धौलपुर

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner